

स्थान यह है कि पुलिस ने राज-कुमार को किस सारिख को पकड़ा ? क्या उसे मैजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया ? क्या राजकुमार के घर वालों को उसकी गिरफ्तारी की सूचना दी गई ? यह हिरासत में कितने दिन था ? यदि पुलिस की हिरासत में उसने आत्म हत्या की तो उसे रोका क्यों नहीं गया ? पोस्टमार्टम की रिपोर्ट क्या है ?

दिल्ली में पुलिस हिरासत में रहस्यमय परिस्थितियों में मरने वाला राज-कुमार पहला ही नौजवान नहीं है। दिल्ली के बाहर पुलिस मुठभेड़ दिखा कर घनचाहे लोगों का सफाया कर रही है और दिल्ली में हत्या को आत्म हत्या का रूप दे कर बानून और व्यवस्था के बारे में जनता के बचे खुचे विश्वास को भी मिट्टी में मिलाने की कोशिश कर रही है।

मेरी मांग है कि राजकुमार की हत्या या आत्म हत्या की परिस्थितियों की निष्पक्ष जांच की जाय और इस सम्बन्ध में गृह मंत्री महोदय सदन में बक्तव्य दें।

(iv) STEPS TO SOLVE MOHI RIVER DISPUTE BETWEEN RAJASTHAN AND GUJARAT

श्री बृद्धि चन्द जैन (बाड़मेर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं नियम 377 के अन्तर्गत निम्नलिखित बक्तव्य देना चाहता हूँ।

माही नदी के जल उपयोग के बारे में राजस्थान एवं गुजरात सरकारों के दरमियाह सन 1966 में एक समझौते

हुमा था जिसके अन्तर्गत कडाना बांध 419 फीट की ऊंचाई पर राजस्थान प्रान्त के बासवाडा जिले में बन कर तैयार हुमा और उक्त बांध से माही नदी का पानी गुजरात प्रान्त के खेडे जिले को सिंचित करने के लिये दिया गया था। उक्त समझौते में यह शर्त थी कि नर्मदा के बारे में न्यायधिवरण द्वारा फैसला करने के बाद में खेडा जिला नर्मदा से सिंचित किया जायेगा और माही का पानी कडाना नहर से गुजरात के ऊपरी इलाके में तथा राजस्थान के सब से सूखे इलाके बाड़मेर और जालौर में काम आयेगा।

गुजरात में सन 1980 में बनाई गई योजना में उक्त समझौते की अद-हेलना कर के खेडे जिले को नर्मदा से सिंचित न करके माही से सिंचित करना प्रस्तावित किया है। यदि गुजरात की यह योजना स्वीकृत हो जाती है तो माही का जल राजस्थान के सूखे इलाकों में उपलब्ध नहीं हो सकेगा। इस प्रकार की कार्यवाही 1966 में दोनों राज्यों के बीच हुए समझौते के विपरीत है।

राजस्थान के रेगिस्तानी क्षेत्र बाड़मेर एवं जालौर जिलों को सिंचित करने की माही ही एक मात्र कम खर्च में पहुंचाने का उपाय है। परन्तु गुजरात सरकार द्वारा समझौते को न मानने के कारण जो स्थिति पैदा हुई है उस से राजस्थान प्रान्त के और विशेषतः बाड़मेर एवं जालौर जिलों में घोर असन्तोष है।

राजस्थान प्रान्त को भी नर्मदा में माकूल हिस्सा नहीं मिला है जो राजस्थान सरकार ने मांग की थी, सिर्फ उतका चौथाई हिस्सा मिला है।

[श्री वृद्धि चन्द जैन]

माही नदी का पानी रेगिस्तानी थार क्षेत्रों बाड़मेर एवं जालौर में पानी पहुंचाने के लिये ही राजस्थान सरकार ने 419 फिट की ऊंचाई का बडाना बांध बनाया था और अपने क्षेत्र का काफी भाग डूब में डाल कर हजारों आदिवासियों को उखाड़ फेंका था। राजस्थान और गुजरात के मुख्य मंत्रियों की बैठक इस दिव्य में केन्द्रीय जल और विद्युत आयोग के अध्यक्ष की अध्यक्षता में तीन माह से लगातार हो रही है लेकिन इस समस्या के हल में कोई दिलचस्पी नहीं ली जा रही है।

यह प्रश्न राजस्थान प्रान्त के और थार रेगिस्तान के क्षेत्र बाड़मेर एवं जालौर जिलों के जीवन मरण का प्रश्न है।

अतः केन्द्रीय सरकार से निवेदन है कि इस अविलम्बनीय प्रश्न को सिंचाई मंत्री एवं प्रधान मंत्री तुरन्त ही अपने हाथों में ले कर जल्दी से जल्दी निर्णय करा कर राजस्थान प्रान्त के रेगिस्तानी बाड़मेर एवं जालौर जिलों की आवश्यक मांग की पूर्ति करें।

(v) FINANCIAL ASSISTANCE FOR THE DAMAGE CAUSED BY TORNADO IN KEONJHAR DISTRICT OF ORISSA

SHRI CHINTAMANI PANIGRAHI (Bhubaneswar): Very recently an unprecedented tornado ravaged 15 villages of Keonjhar district in Orissa, where 32 people died, including men, women and children and hundreds were injured. Most of these villages are tribal villages. This natural calamity came as a surprise and within minutes more than six hundred houses were lifted up and were smashed out of shape. Domestic animals and poultry died in thousands. I urge upon the Central Government to send central team immediately

and to rehabilitate all these six thousand affected people. Besides the tornado ravages, heavy cyclone has caused heavy damages to thousands of houses in Jatni, Chandka, Khurda and Daspalla areas in Puri Districts and in Mayurbhanj District and in many other places in Orissa. The Central Government should provide adequate assistance to Orissa immediately to help the people in these affected areas.

(vi) ENQUIRY INTO ALLEGED CORNERING OF ANIMAL BLOOD BY FRANCO-INDIA

SHRI NAWAL KISHORE SHARMA (Dausa): Despite repeated Government pronouncement that foreign companies would not be allowed to continue to suppress and destroy indigenous drug industry, the dominance of the Foreign Drug companies is going on unabated. These companies are devising new means to choke the growth of Indian producers. In the process they are also choking production of vital life saving drugs to monopolise their drugs. In this respect Franco-India Pharmaceuticals Ltd. is a living example.

It started its activities in India in late 50's with hardly a capital of Rs. 50,000 or so. Today its assets are worth several crores of Rupees, obviously all at the expense of our poor people in the name of giving them life saving drugs. However, the most nefarious activity has been in haemoglobin preparation. This is made from animal blood produced in slaughter houses. This company along with its Associates, market this preparation worth Rs. 5 crores per annum. Retail sales price of its one bottle is Rs. 10.50. Thus it sells 48 lakh bottles in a year or 4 lakh bottles per month. Taking the production of 2.4 bottles of this product per litre blood, the monthly requirement of the blood by the Company is 1.67 lakh litres. This entire quantity of blood is available from Bombay slaughter houses alone where